

झारखण्ड सरकार  
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

विज्ञापन

राजपत्रित/अराजपत्रित कोटि की हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा हिन्दी लिखने-पढ़ने की योग्यता परीक्षा से सम्बद्ध सभी प्रमंडलीय/जिला परीक्षा केन्द्रों, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित सूचनाएँ प्रकाशित की जाती हैं -

1. दिनांक 21.01.2018 को सम्पन्न हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा हिन्दी लिखने-पढ़ने की योग्यता परीक्षा का परीक्षाफल आदेश/ज्ञाप सं. 117/रा०, दिनांक 07.06.2018 द्वारा प्रकाशित और प्रेषित है। उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की सूची तथा प्रमाणपत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के वेबसाइट [dopjharkhand.gov.in](http://dopjharkhand.gov.in) पर उपलब्ध है, संबंधित कार्यालय/परीक्षार्थी परीक्षाफल/प्रमाणपत्र डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं।

2. अगली परीक्षा दिनांक 22.07.2018 को 11 बजे पूर्वाह्न से 1 बजे अपराह्न तक सचिवालय, प्रमण्डलीय एवं जिला मुख्यालयों में होगी।

राजपत्रित कोटि की हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा ननमैट्रिक स्तर की हिन्दी लिखने-पढ़ने की योग्यता परीक्षा के परीक्षा केन्द्र प्रमण्डलीय मुख्यालयों में रहेंगे। अराजपत्रित कोटि की हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा के परीक्षा केन्द्र प्रमण्डलों में तथा जिन जिलों में प्रमण्डलीय मुख्यालय नहीं है, वहां जिला मुख्यालयों में होंगे।


3. पलामू तथा कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा में परीक्षा का संचालन आयुक्त के सचिव द्वारा किया जाएगा और रांची, हजारीबाग तथा दुमका प्रमण्डल में परीक्षा का संचालन प्रभारी उपनिदेशक, राजभाषा द्वारा किया जाएगा।

4. सचिवालय एवं संबद्ध कार्यालयों के पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए परीक्षा का संचालन कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (मुख्यालय) द्वारा किया जाएगा।

5. विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 05.07.2018 है।

6. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले पदाधिकारी/कर्मचारी यथार्थि अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से सचिवालय तथा संबद्ध प्रमण्डलीय या जिला मुख्यालयों में दिनांक 05.07.2018 तक अपना आवेदन विहित प्रपत्र में प्रस्तुत करेंगे। आवेदक अपने आवेदन पत्र तथा प्रवेश पत्र पर हाल का पासपोर्ट आकार का अपना एक-एक फोटो चिपकाएंगे, जो निश्चित रूप से संबद्ध कार्यालय प्रधान द्वारा अनुप्रमाणित होना चाहिए।

अनुलग्नक - आवेदन पत्र का फारम।

  
(सतेन्द्र सिंह)  
सरकार के सचिव

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

आपांक 1728  
प्रतिलिपि :- प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना युनिट सुवर्णरेखा जल कार्मिकपुर जमशेदपुर/सभी मुख्य अधिकारी (लेख सिन्हा सहित) जल संसाधन विभाग/अपर निदेशक अ- कर्जम एवं पुर्वीय जमशेदपुर/निदेशक अ- कर्जम जल निवेशक रांची/उप सहायता राजस्व प्रमंडल रांची/सभी पुर्वीय पदाधिकारी/सभी विशेष कर्जम पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/वेब डेवलपमेंट मैनेजर जल संसाधन विभाग रांची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे हेतु/विभागीय कार्मिकों को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
आपांक - आवेदन का फारम

सुवर्णरेखा  
22/06/18  
सरकार के जल संसाधन विभाग

सुवर्णरेखा  
22/06/18

आवेदन पत्र का फारम

झारखण्ड सरकार,  
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा/हिन्दी लिखने-पढ़ने की योग्यता परीक्षा।

आवेदन पत्र

कार्यालय प्रधान  
द्वारा अभिप्रमाणित  
पासपोर्ट आकार का  
फोटो यहाँ  
चिपकाएँ।

1. आवेदक का नाम : .....
2. पदनाम : .....
3. राजपत्रित अथवा अराजपत्रित : .....
4. जी.पी.एफ./सी.पी.एफ./प्रान सं० : .....
5. विभाग/कार्यालय का नाम : .....
- जिला ..... प्रमण्डल .....
6. शैक्षणिक योग्यता : मैट्रिक  ननमैट्रिक
7. क्या आप पूर्व आयोजित किसी परीक्षा में असफल हुए हैं :
8. आवेदक का हस्ताक्षर .....
9. आवेदन करने की तिथि : .....
10. अग्रसारण पदाधिकारी का तिथि सहित हस्ताक्षर एवं मुहर : .....

प्रवेश पत्र  
आवेदक स्वयं भरें

1. आवेदक का नाम : .....
2. पदनाम : .....
3. जी.पी.एफ./सी.पी.एफ./प्रान सं० : .....
4. विभाग/कार्यालय का नाम : .....
5. शैक्षणिक योग्यता : मैट्रिक  ननमैट्रिक
6. आवेदक का हस्ताक्षर : .....
7. आवेदक का हस्ताक्षर तथा फोटो अभिप्रमाणित  
करनेवाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर : .....

कार्यालय प्रधान  
द्वारा अभिप्रमाणित  
पासपोर्ट आकार का  
फोटो यहाँ  
चिपकाएँ।

कार्यालय द्वारा भरा जायेगा

1. परीक्षा की तिथि-: 2. रोल नंबर :
3. परीक्षा का समय : 11 बजे पूर्वाह्न से 1 बजे अपराह्न तक
4. परीक्षा केन्द्र का नाम :

उपसचिव, कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा/  
उपायुक्त/आयुक्त के सचिव/  
प्रमण्डलीय उपनिदेशक, राजभाषा

नोट - परीक्षा-कक्ष में पुस्तक तथा किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, यथा मोबाइल, ब्लूटूथ आदि के साथ प्रवेश वर्जित है।